

224  
II/निरा/रीवा/2018/0050

348

समक्ष माननीय मोप्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (मोप्र०) ₹५३०।



1. सम्पत्ति कोरी पिता स्व० रामदुलारे कोरी, उम्र 48 वर्ष,  
2. शान्ति देवी कोरी पति स्व० रामदुलारे कोरी, उम्र 77 वर्ष,  
दोनों निवासी-ग्राम लेडुआ, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा  
(मोप्र०) ..... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. बेवा रामरती पति रामकृपाल  
2. मुन्ना लाल कोरी पिता रामकृपाल  
3. रामदास कोरी पिता रामकृपाल  
4. रामसुमिरन कोरी पिता रामकृपाल  
सभी निवासी-ग्राम लेडुआ, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा  
(मोप्र०)  
5. शासन मध्यप्रदेश द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा ..... गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय  
श्रीमान् नायब तहसीलदार तहसील  
रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा के  
राजस्व प्रकरण क्र०-39अ6अ/16-17  
में पारित आदेश दिनांक

10/10/2017।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मोप्र०  
भू-राजस्व संहिता 1959 ई०।

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित हैं-

1. यह कि निगरानीकर्तागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान के समक्ष ग्राम लेडुआ, पटवारी हल्का सुरसा, रा०नि०म० मनिकवार, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा की आ०न० 26/2, 30/2, 177/2,

(224)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश रावलियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II | मिसाना 18 | 0050 | १२.८ | जिला रीवा

सम्पर्क कोरी विरुद्ध रामराम चंद्रमहु

1	2	3
1. आवेदक की ओर से श्री बुजेश बुजेश लिंग अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदास/नायब तहसीलदार तहसील रामराम चंद्रमहु के प्रकरण क्रमांक 39   ३०.६.५०   १६.१७ में पारित आदेश दिनांक 10-10-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र०० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29-3-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।		

८  
सदस्य